# मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (क.प्रशा.सेवा) संघ

(म.प्र. के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठन)

प्रांतीय कार्यालय : - एफ-14,सह्याद्री परिसर - डिपो चौराहा,टी0टी0 नगर,भोपाल

email:- president.moroa@gmail.com

प्रांताध्यक्ष
गुलाब सिंह बघेल
तहसीलदार
9893823929

महासचिव सह प्रवक्ता
अवनीश मिश्रा
तहसीलदार
9630977742

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पंकज नयन तिवारी
ना. तहसीलदार
9407394051



संरक्षक
श्रीराम तिवारी.से.नि. अपर कलेक्टर
आकाश श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर

वरिष्ठ मार्गदर्शक
पी.सी.जैन, तहसीलदार
जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार

उपाध्यक्ष
बजरंग बहादुर सिंह, तहसीलदार
श्रीमती सरोज अग्निवंशी, तहसीलदार
मानवेन्द्र सिंह, तहसीलदार
श्रीमती शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार
गौरीशंकर बैरवा, ना.तहसीलदार
अर्चना गुप्ता, ना.तहसीलदार
चन्द्रशेखर मिश्रा, ना. तहसीलदार

कोषाध्यक्ष
विवेक व्यास, ना. तहसीलदार

वित्तीय प्रबंधक
आदित्य जंघेला , ना. तहसीलदार
दिलीप द्विवेदी, ना.तहसीलदार

विधिक सलाहकार
डॉ. नरेन्द्र बाबू यादव , तहसीलदार
राजेश पाटीदार, तहसीलदार
अरुण चन्द्रवंशी, ना. तहसीलदार

कार्यक्रम समन्वयक
चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार
प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार
धीरेन्द्र पराशर, तहसीलदार
रमाशंकर दादोरिया , ना.तहसीलदार
प्रदीप तिवारी, ना. तहसीलदार

संयुक्त सचिव
अशोक सेन, तहसीलदार
रोहित वर्मा, तहसीलदार
अजय भूषण शुक्ला, तहसीलदार
आशीष अग्रवाल, ना.तहसीलदार
अंबरपंथी, ना.तहसीलदार
रूपेश्वरी कुंजाम, ना.तहसीलदार
ऋषि नारायण सिंह, ना. तहसीलदार
अनीता बरेठ, ना. तहसीलदार

अनुशासन समिति
प्रभारी- दीपक शुक्ला, तहसीलदार
सहप्रभारी- हरिशंकर विश्वकर्मा, तहसीलदार
सहप्रभारी- महेश सोलंकी, ना.तहसीलदार
सहप्रभारी- पी.के. पटेल, ना.तहसीलदार

मीडिया प्रभारी
श्रीमती सुनीता लाल, तहसीलदार
जितेन्द्र कुमार वर्मा, तहसीलदार
रामबाबू देवांगन, तहसीलदार
डॉ. अमित सिंह, ना.तहसीलदार

कार्यालय प्रभारी
पी.के. मिश्रा, तहसीलदार
सैयद परवेज अली, ना.तहसीलदार


प्रति,

माननीय राजस्व मंत्री महोदय
मंत्री राजस्व विभाग
मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

द्वारा :—श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग ......................जिला................(म0प्र0)

विषय:—श्री हरिसिंह धुर्वे,तत्कालीन तहसीलदार पीठासीन अधिकारी आधारताल जिला जबलपुर के विरूद्ध निजी भूमि के राजस्व न्यायालय के नामांतरण प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गईएफ. आई. आर.को अपास्त किये जाने विषयक।

———000———

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी विधि द्वारा स्थापित भू राजस्व संहिता के तहत संचालित राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की सीमा में धारा 31 के तहत कार्य करते हैं एवं अपने इस पदीय दायित्व के अतिरिक्त शासन के 56 विभागों की योजनाओं का कार्यान्वियन भी करते हैं। इसका उदाहरण विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचनो के उपरांत क्रमशः राजस्व आभियान 1 तथा 2 में किए गए लाखों नामांतरण, बटवारा, नक्शा तरमीम आदि आर सी एम एस पोर्टल पर परिलक्षित हैं।

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में राजस्व अधिकारी संघ महोदय के संज्ञान में निम्नलिखित शासन द्वारा ज़ारी परिपत्र, न्यायिक संरक्षण अधिनियम सन् 1985, भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा, सिविल सेवा आचरण संहिता 1965, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है:

- परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक एम— 19/49/4/ भोपाल, दिनांक 31/1/1994 संलग्न है।
- परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग वर्ष 2009 के तहत गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में ऐसे प्रकरणों का विचारण उपरांत कार्यवाही करना ।

18/9/24

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (क.प्रशा.सेवा) संघ

(म.प्र. के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठन)

प्रांतीय कार्यालय : - एफ-14,सहयाद्री परिसर - डिपो चौराहा,टी0टी0 नगर,भोपाल

email:- president.moroa@gmail.com

प्रांताध्यक्ष
गुलाब सिंह बघेल
तहसीलदार
9893823929

महासचिव सह प्रवक्ता
अवनीश मिश्रा
तहसीलदार
9630977742

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पंकज नयन तिवारी
ना. तहसीलदार
9407394051

संरक्षक
श्रीराम तिवारी,से.नि. अपर कलेक्टर
आकाश श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर

वरिष्ठ मार्गदर्शक
पी.सी.जैन, तहसीलदार
जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार

उपाध्यक्ष
बजरंग बहादुर सिंह,तहसीलदार
श्रीमती सरोज अग्निवंशी, तहसीलदार
मानवेन्द्र सिंह, तहसीलदार
श्रीमती शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार
गौरीशंकर बैरवा, ना.तहसीलदार
अर्चना गुप्ता, ना.तहसीलदार
चन्द्रशेखर मिश्रा, ना. तहसीलदार

कोषाध्यक्ष
विवेक व्यास, ना. तहसीलदार

वित्तीय प्रबंधक
आदित्य जंघेला , ना. तहसीलदार
दिलीप द्विवेदी, ना.तहसीलदार

विधिक सलाहकार
डॉ. नरेन्द्र बाबू यादव , तहसीलदार
राजेश पाटीदार, तहसीलदार
अरूण चन्द्रवंशी, ना. तहसीलदार

कार्यक्रम समन्वयक
चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार
प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार
धीरेन्द्र पारासर, तहसीलदार
रमाशंकर दादोरिया , ना.तहसीलदार
प्रदीप तिवारी, ना. तहसीलदार

संयुक्त सचिव
अशोक सेन, तहसीलदार
रोहित वर्मा, तहसीलदार
अजय भूषण शुक्ला, तहसीलदार
आशीष अग्रवाल, ना.तहसीलदार
अंबरपंथी, ना.तहसीलदार
रूपेश्वरी कुंजाम, ना.तहसीलदार
ऋषि नारायण सिंह, ना. तहसीलदार
अनीता बरेठा, ना. तहसीलदार

अनुशासन समिति
प्रभारी- दीपक शुक्ला, तहसीलदार
सहप्रभारी- हरिशंकर विश्वकर्मा, तहसीलदार
सहप्रभारी- महेश सोलंकी, ना.तहसीलदार
सहप्रभारी- बी.के. पटेल, ना.तहसीलदार

मीडिया प्रभारी
श्रीमती सुनीता लाल, तहसीलदार
जितेन्द्र कुमार वर्मा, तहसीलदार
रामबाबू देवांगन, तहसीलदार
डॉ. अमित सिंह, ना.तहसीलदार

कार्यालय प्रभारी
बी.के. मिश्रा, तहसीलदार

- परिपत्र "मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल क्रमांक एफ 2–4 / 2021 / सात/ शा07 भोपाल दिनांक 25/03/2021" राजस्व विभाग वर्ष 2021 संलग्न हैं
- न्यायिक संरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3 (2) के तहत राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है।
- (दण्ड प्रक्रिया संहिता) नवीन बी एन एन एस की धारा 218
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समस्त संलग्न हैं। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के प्रकरण क्रमांक एमसीआरसी 58759/2022 निर्णय दिनांक 26/04/2023 श्री धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर विरूद्ध म0प्र0 शासन, डब्ल्यू पी / 1901/2017 निर्णय दिनांक 17/05/2019 श्रीमती मनोरमा कोष्टी मलकापुरकार विरूद्ध म0प्र0 शासन एम आई एस सी पी 18/03/2023 निर्णय दिनांक 14/08/2023 श्री अनिल कुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन जिसमें न्यायिक संरक्षण अधिनियम की विस्तृत व्याख्या की गई है।
- सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 के तहत ,द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के विरूद्व की जाने वाली विभागीय प्रक्रिया आदि।

2 निवेदन है कि पीठासीन अधिकारी एवं तहसीलदार आधारताल द्वारा राजस्व न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/1587/अ–6/2023–24 में दिनांक 08/08/2023 को आदेश पारित कर निज स्वामित्व की भूमि का वसीयत नामांतरण निष्पादित किया गया, जिसे अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आधारताल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 0035/अपील/2024–25 में सुनवाई कर दिनांक 09/09/2024 को आदेश पारित कर न्यायालय तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया गया । उपरोक्त कार्यवाही संहिता के प्रावधान के तहत की जाने वाली कार्यवाही है जो इस प्रकरण में भी की गयी है ।

3. उपरोक्तानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/08/2023 को दिनांक 09/09/2024 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया, दिनांक 12/09/2024 को बिना किसी विभागीय अनुमति के अनुविभागीय अधिकारी आधारताल जिला जबलपुर द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराई गयी एवं आनन–फानन में पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया ।इसके पश्चात दिनांक 13/09/2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अग्रेपित कर समान तिथि

18/9/24

पंजीयन क्रमांक - 1644/70

# मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (क.प्रशा.सेवा) संघ

(म.प्र. के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठन)
प्रांतीय कार्यालय : - एफ-14,सहयाद्री परिसर - डिपो चौराहा,टी0टी0 नगर,भोपाल
email:- president.moroa@gmail.com

| प्रांताध्यक्ष | महासचिव सह प्रवक्ता | वरिष्ठ उपाध्यक्ष |
|---|---|---|
| गुलाब सिंह बघेल | अवनीश मिश्रा | पंकज नयन तिवारी |
| तहसीलदार | तहसीलदार | ना. तहसीलदार |
| 9893823929 | 9630977742 | 9407394051 |


13/09/2024 को पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तारी के दौरान ही निलंबन किया गया ।

4 संघ द्वारा प्रस्तुत समस्त उपरोक्त दृष्टांत, परिपत्र, धाराए एवं माननीय उच्च न्यायालय समय – समय पर न्यायिक संरक्षण अधिनियम की व्याख्या करते हुए राजस्व अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रुप में न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

5 विषयांतर्गत अधारताल तहसील जबलपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालय में पारित किए गए निर्णय को दोषपूर्ण मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी अधारताल द्वारा निरस्त किया गया है, उक्त निर्णय को आधार बनाकर कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा उपरोक्त समस्त शासन के परिपत्र एवं निर्णय, न्यायिक संरक्षण अधिनियम, सिविल सेवा आचरण अधिनियम, को दरकिनार करते हुए सीधे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उक्त एफआईआर दर्ज करवाने के पूर्व कलेक्टर महोदय ने शासन से भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई है जो कि आचरण संहिता का स्पष्ट उलंघन है।

6 पीठासीन अधिकारी तहसीलदार संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी वर्ग–2 को अर्धन्यायिक कर्तव्य पर सेवारंत रहते हुए न्यायिक संरक्षण प्राप्त है इनके विरूद्ध सुनियोजित तरीके से बिना माननीय के अनुमति. के अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना म0प्र0 शासन के सुस्थापित नियम का नितांत उल्लंघन है, साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के संबंधित निर्णय की अवमानना है । न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम एवं म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के तहत तहसीलदार पद के संरक्षण एवं अधिकारिता के विरूद्ध जिला प्रशासन जबलपुर द्वारा जो कार्यवाही की गयी है जो कि राजस्व न्यायालय को संरचना को खत्म करेगा ।

7 अतः म0प्र0 राजस्व अधिकारी (क0प्र0शा0 सेवा एवं अधीक्षक भू–अभिलेख) संघ सेनिवेदन करता है कि

इस प्रकरण से समस्त राजस्व अधिकारी भयभीत और आहत हैं और न्यायालीन कार्य करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अतः संघ की ओर से निम्न मांग करते हैं:–

18/9/24

संरक्षक
श्रीराम तिवारी,से.नि. अपर कलेक्टर
आकाश श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर

वरिष्ठ मार्गदर्शक
पी.सी.जैन, तहसीलदार
जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार

उपाध्यक्ष
बजरंग बहादुर सिंह, तहसीलदार
श्रीमती सरोज अग्निवंशी, तहसीलदार
मानवेन्द्र सिंह, तहसीलदार
श्रीमती शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार
गौरीशंकर बैरवा, ना.तहसीलदार
अर्चना गुप्ता, ना.तहसीलदार
चन्द्रशेखर मिश्रा, ना. तहसीलदार

कोषाध्यक्ष
विवेक व्यास, ना. तहसीलदार

वित्तीय प्रबंधक
आदित्य जंघेला , ना. तहसीलदार
दिलीप द्विवेदी, ना.तहसीलदार

विधिक सलाहकार
डॉ. नरेन्द्र बाबू यादव , तहसीलदार
राजेश पाटीदार, तहसीलदार
अरूण चन्द्रवंशी, ना. तहसीलदार

कार्यक्रम समन्वयक
चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार
प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार
धीरेन्द्र पराशर, तहसीलदार
रमाशंकर दादोरिया , ना.तहसीलदार
प्रदीप तिवारी, ना. तहसीलदार

संयुक्त सचिव
अशोक सेन, तहसीलदार
रोहित वर्मा, तहसीलदार
अजय भूषण शुक्ला, तहसीलदार
आशीष अग्रवाल, ना.तहसीलदार
अंबरपंथी, ना.तहसीलदार
रूपेश्वरी कुंजाम, ना.तहसीलदार
ऋषि नारायण सिंह, ना. तहसीलदार
अनीता करोठ, ना. तहसीलदार

अनुशासन समिति
प्रभारी- दीपक शुक्ला, तहसीलदार
सहप्रभारी- हरिशंकर विश्वकर्मा, तहसीलदार
सहप्रभारी- महेश सोलंकी, ना.तहसीलदार
सहप्रभारी- पी.के. पटेल, ना.तहसीलदार

मीडिया प्रभारी
श्रीमती सुनीता लाल, तहसीलदार
जितेन्द्र कुमार वर्मा, तहसीलदार
रामबाबू देवांगन, तहसीलदार
डॉ. अमित सिंह, ना.तहसीलदार

कार्यालय प्रभारी
बी.के. मिश्रा, तहसीलदार

पंजीयन क्रमांक - 1644/70

# मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (क.प्रशा.सेवा) संघ

(म.प्र. के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठन)
प्रांतीय कार्यालय : - एफ-14,सह्याद्री परिसर - डिपो चौराहा,टी0टी0 नगर,भोपाल
email:- president.moroa@gmail.com

प्रांताध्यक्ष
गुलाब सिंह बघेल
तहसीलदार
9893823929

महासचिव सह प्रवक्ता
अवनीश मिश्रा
तहसीलदार
9630977742

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पंकज नयन तिवारी
ना. तहसीलदार
9407394051

संरक्षक
श्रीराम तिवारी,से.नि. अपर कलेक्टर
आकाश श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर

वरिष्ठ मार्गदर्शक
पी.सी.जैन, तहसीलदार
जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार

उपाध्यक्ष
बजरंग बहादुर सिंह,तहसीलदार
श्रीमती सरोज अग्निवंशी, तहसीलदार
मानवेन्द्र सिंह, तहसीलदार
श्रीमती शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार
गौरीशंकर बैरवा, ना.तहसीलदार
अर्चना गुप्ता, ना.तहसीलदार
चन्द्रशेखर मिश्रा, ना. तहसीलदार

कोषाध्यक्ष
विवेक व्यास,ना. तहसीलदार

वित्तीय प्रबंधक
आदित्य जंघेला ,ना. तहसीलदार
दिलीप द्विवेदी,ना.तहसीलदार

विधिक सलाहकार
डॉ. नरेन्द्र बाबू यादव ,तहसीलदार
राजेश पाटीदार,तहसीलदार
अरूण चन्द्रवंशी, ना. तहसीलदार

कार्यक्रम समन्वयक
चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार
प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार
धीरेन्द्र पाराशर, तहसीलदार
रमाशंकर दादोरिया , ना.तहसीलदार
प्रदीप तिवारी, ना. तहसीलदार

संयुक्त सचिव
अशोक सेन, तहसीलदार
रोहित वर्मा, तहसीलदार
अजय भूषण शुक्ला, तहसीलदार
आशीष अग्रवाल, ना.तहसीलदार
अंबरपंथी, ना.तहसीलदार
रूपेश्वरी कुंजाम, ना.तहसीलदार
ऋषि नारायण सिंह, ना. तहसीलदार
अनीता बरेठ, ना. तहसीलदार

अनुशासन समिति
प्रभारी- दीपक शुक्ला, तहसीलदार
सहप्रभारी- हरिशंकर विश्वकर्मा, तहसीलदार
सहप्रभारी- महेश सोलंकी, ना.तहसीलदार
सहप्रभारी- वी.के. पटेल, ना.तहसीलदार

मीडिया प्रभारी
श्रीमती सुनीता लाल, तहसीलदार
जितेन्द्र कुमार वर्मा, तहसीलदार
रामबाबू देवांगन, तहसीलदार
डॉ. अमित सिंह, ना.तहसीलदार

कार्यालय प्रभारी
वी.के. मिश्रा, तहसीलदार
फिरोज परवेज अली, ना.तहसीलदार

1. विधि द्वारा स्थापित तथ्यों के विपरीत जाकर कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराई गई एफआईआर अपास्त कर शासन के परिपत्रों के अनुकूल कार्य किया जाए।
2. कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही भी अनुचित होने के कारण विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।
3. राजस्व अधिकारी संघ भू राजस्व संहिता में संशोधन कर वसीयत का नामांतरण प्रोबेट के उपरांत करने की व्यवस्था होने तक वसीयत के आधार पर नामांतरण शासन द्वारा ज़ारी परिपत्र के अनुसार नहीं कर सकेंगे।

संघ निवेदन करता है कि जब तक शासन जबलपुर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए विधि विपरीत कार्यवाही पर ठोस निर्णय नहीं लेता है तब तक प्रदेश में समस्त राजस्व अधिकारी अपने कार्यों से दिनांक 18/09/2024 से अनिश्चितकाल तक विरत रहेंगे।
सादर सूचनार्थ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसा।

18/9/24

प्रांताध्यक्ष
म.प्र. राजस्व अधिकारी
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ

प्रतिलिपि :—

1 माननीय मुख्य सचिव महोदय, म0प्र0 शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2 माननीय प्रमुख सचिव महोदय, म0प्र0 शासन रजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
3 माननीय प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।

18/9/24

प्रांताध्यक्ष
म.प्र. राजस्व अधिकारी
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ